

नगालैंड में अफस्पा का वसितार

प्रलिस के लयः

सशस्त्र बल (वशष शक्तयों) अधनयलम 1958, कोन्याक जनजात, वशष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह (PVTGs)

मेन्स के लयः

सशस्त्र बल (वशष शक्तयों) अधनयलम 1958 और इसकी आवश्यकता, भारत की आंतरकल सुरक्षा के लय चुनौतयलं

चरचा में क्योँ?

कोन्याक संगठनों की संरक्षक संस्था 'कोन्याक सवलल सोसाइटी संगठन' ने [सशस्त्र बल \(वशष शक्तयों\) अधनयलम 1958 \(AFSPA\)](#) के वसितार की नदल की है ।

- नगालैंड में सशस्त्र बल (वशष शक्तयों) अधनयलम 1958 को 30 दसलबर 2021 से छह महीने के लय बढ़ा दलया गया है ।

कोन्याक

परचयः

- नगालैंड में कोन्याक जनजात एओ, तंगखुल, सेमा और अंगामी के बाद सबसे बड़ी जनजातल है ।
- अन्य नागा जनजातयों में लोथा, संगतम, फोम, चांग, खमलनुंगम, यमलचुंगरे, जेलयलंग, चाखेसांग (चोकरी) और रेंगमा शामिल हैं ।
- माना जाता है कल 'कोन्याक' शब्द 'वहाओ' शब्द से लयल गया है जसलका अरथ है 'सरल' और 'न्याक' का अरथ है 'काला' । इसका अनुवाद 'काले बालों वाला पुरुष' है ।
- उन्हें दो समूहों में बाँटा जा सकता है- 'थेंडु', जसलका अरथ है 'टैटू वाला चेहरा' और 'थेंथो', जसलका अरथ है 'सफेद चेहरा' ।

परवलशः

- यह जनजातल ज्यादातर मोन ज़लल में नवलस करती है, जलनलें 'द लैंड ऑफ द एंग्स' के नाम से भी जाना जाता है, वे अरुणाचल प्रदेश, असम और म्यॉमार के कुछ ज़ललों में भी पाए जाते हैं ।
- अरुणाचल प्रदेश में उन्हें वलंचो के रूप में जाना जाता है ('वलंचो' 'कोन्याक' का परयायवाची शब्द है) ।
 - जातीय, सांसकृतकल और भाषायी रूप से एक ही पड़ोसी राज्य अरुणाचल प्रदेश के नोक्टेस और तांगसा भी कोन्याक से नकलटता से संबंधतल हैं ।

मनाए जाने वाले त्योहार :

- तीन सबसे महत्त्वपूर्ण त्योहार एओलगलमोन्यु, एओनमल और लाउन-ऑंगमो हैं ।
 - एओलगलमोन्यु अप्रैल के पहले सप्ताह में बीज बोने के बाद मनाया जाता है और यह नए साल की शुरुआत का प्रतीक है । इसका धार्मकल महत्त्व समृद्ध फसल के लय भगवान को प्रसन्न करना है ।
 - पहली फसल जैसे- मक्का और सबजयों की कटाई के बाद जुलाई या अगस्त में एओनमल मनाया जाता है ।
 - लाउन-ऑंगमो एक धन्यवाद देने वाला त्योहार है और सभी कृषल गतवलधलयों के पूरा होने के बाद मनाया जाता है ।

प्रमुख बदल

सशस्त्र बल (वशष शक्तयों) अधनयलम, 1958:

पृष्ठभूमलः

- [भारत छोड़ो आंदोलन](#) के दौरान वरलध प्रदर्शनों को दबाने के लय बनाए गए बरलशल-युग के कानून का पुनरजन्म, AFSPA 1947 में चार अध्यादेशों के माध्यम से जारी कयल गया था ।

- अध्यादेशों को 1948 में एक अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था और पूर्वोत्तर में वर्तमान कानून 1958 में तत्कालीन गृह मंत्री जी.बी. पंत द्वारा प्रभावी किया गया था।
 - इसे शुरू में सशस्त्र बल (असम और मणिपुर) विशेष अधिकार अधिनियम, 1958 के रूप में जाना जाता था।
 - अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मजिोरम और नगालैंड राज्यों के अस्तित्व में आने के बाद अधिनियम को इन राज्यों पर भी लागू करने के लिये अनुकूलित किया गया था।
- **परिचय:**
- AFSPA सशस्त्र बलों और "अशांत क्षेत्रों" में तैनात केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को कानून का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को मारने और बर्बाद करने के किसी भी परिसर की तलाशी लेने तथा अभियोजन एवं कानूनी मुकदमों से सुरक्षा के साथ नरिंकुश शक्तियाँ देता है।
 - नगा हिल्स में विद्रोह से निपटने के लिये कानून पहली बार 1958 में लागू हुआ, उसके बाद असम में विद्रोह हुआ।
- **अशांत क्षेत्र:**
- 1972 में अधिनियम में संशोधन किया गया और एक क्षेत्र को "अशांत" घोषित करने की शक्तियाँ राज्यों के साथ-साथ केंद्र सरकार को भी प्रदान की गईं।
 - वर्तमान में केंद्रीय गृह मंत्रालय केवल नगालैंड और अरुणाचल प्रदेश के लिये AFSPA का विस्तार करने हेतु समय-समय पर "अशांत क्षेत्र" अधिसूचना जारी करता है।
 - मणिपुर और असम के लिये अधिसूचना राज्य सरकारों द्वारा जारी की जाती है।
 - त्रिपुरा ने 2015 में अधिनियम को नरिंसत कर दिया और मेघालय में 27 वर्षों से AFSPA लागू था, जब तक कि इसे 1 अप्रैल, 2018 से केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा रद्द नहीं कर दिया गया।
 - यह अधिनियम असम की सीमा से लगे 20 किलोमीटर के क्षेत्र में लागू किया गया था।
 - जम्मू और कश्मीर में एक अलग जम्मू-कश्मीर सशस्त्र बल (विशेष शक्तियाँ) अधिनियम, 1990 है।
- **अधिनियम को लेकर विवाद:**
- **मानवाधिकारों का उल्लंघन:**
- कानून गैर-कमीशन अधिकारियों तक, सुरक्षाकर्मीयों को बल का उपयोग करने और "मृत्यु का कारण बनने तक" गोली मारने का अधिकार देता है, यदा वे आश्वस्त हैं कि "सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव" के लिये ऐसा करना आवश्यक है।
 - यह सैनिकों को बर्बाद करने के परिसर में प्रवेश करने, तलाशी लेने और गरिफ्तारी करने की कार्यकारी शक्तियाँ भी देता है।
 - सशस्त्र बलों द्वारा इन असाधारण शक्तियों के प्रयोग से अक्सर अशांत क्षेत्रों में सुरक्षा बलों पर फरजी मुठभेड़ों और अन्य **मानवाधिकारों के उल्लंघन** के आरोप लगते रहे हैं, जबकि नगालैंड एवं जम्मू-कश्मीर जैसे कुछ राज्यों में AFSPA के अनधिकृतकालीन लागू होने पर सवाल उठाया गया है।
- **जीवन रेड्डी समिति की सिफारिशें:**
- नवंबर 2004 में, केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों में अधिनियम के प्रावधानों की समीक्षा के लिये न्यायमूर्ति बी पी जीवन रेड्डी की अध्यक्षता में पाँच सदस्यीय समिति नियुक्त की।
 - समिति की मुख्य सिफारिशें इस प्रकार थीं:
 - AFSPA को नरिंसत किया जाना चाहिये और **गैर-कानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1967** में उचित प्रावधान शामिल किये जाने चाहिये
 - सशस्त्र बलों और अर्द्धसैनिक बलों की शक्तियों को स्पष्ट रूप से नरिंसत करने हेतु गैरकानूनी गतिविधि अधिनियम को संशोधित किया जाना चाहिये तथा प्रत्येक ज़िले में जहाँ सशस्त्र बल तैनात हैं, शकियत प्रकोष्ठ स्थापित किये जाने चाहिये।
 - **दूसरी ARC की सिफारिशें:** सार्वजनिक व्यवस्था पर दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग (ARC) की 5वीं रिपोर्ट में भी अफसपा को नरिंसत करने की सिफारिश की गई है। हालाँकि, इन सिफारिशों को लागू नहीं किया गया है।
- **अधिनियम पर सर्वोच्च न्यायालय के विचार:**
- वर्ष 1998 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक नरिणय (नगा पीपुल्स मूवमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया) में AFSPA की संवैधानिकता को बरकरार रखा है।
 - इस नरिणय में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि
 - केंद्र सरकार द्वारा स्व-परेरणा से घोषणा की जा सकती है, हालांकि यह वांछनीय है कि घोषणा करने से पहले राज्य सरकार को केंद्र सरकार से परामर्श लेना चाहिये;
 - घोषणा एक सीमा अवधि के लिये होनी चाहिये और घोषणा की समय-समय पर समीक्षा हेतु 6 महीने की अवधि समाप्त हो गई है;
 - अफसपा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते समय, प्राधिकृत अधिकारी को प्रभावी कार्रवाई हेतु आवश्यक न्यूनतम बल का प्रयोग करना चाहिये।

आगे की राह

- वर्षों से हुई कई मानवाधिकार उल्लंघन की घटनाओं के कारण अधिनियम की यथास्थिति अब स्वीकार्य समाधान नहीं है। AFSPA उन क्षेत्रों में उत्पीड़न का प्रतीक बन गया है जहाँ इसे लागू किया गया है इसलिये सरकार को प्रभावित लोगों को संबोधित करने और उन्हें अनुकूल कार्रवाई के लिये आश्वस्त करने की आवश्यकता है।
- सरकार को मामले-दर-मामले आधार पर अफसपा को लागू करने और हटाने पर विचार करना चाहिये और पूरे राज्य में इसे लागू करने के बजाय इसे केवल कुछ सवेदनशील ज़िलों तक सीमित करना चाहिये।
- सरकार और सुरक्षा बलों को **सर्वोच्च न्यायालय**, **जीवन रेड्डी आयोग** और **राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग** (NHRC) द्वारा नरिंधारित दिशा-नरिंदेशों का भी पालन करना चाहिये।

स्रोत: द हद्दू

PDF Referenece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/afspa-extended-in-nagaland-1>

